झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. धारा-2 में संशोधन
3. धारा-56 के बाद अध्याय-7 में धारा-57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एवं 64 अंत: स्थापित करने के संबंध में ।
4. धारा-57
5. धारा-58 मार्केट यार्ड की घोषणा
6. धारा-59 हाट/बाजार कमिटि का गठन
7. धारा-60 मार्केट समिति का स्वरूप
8. धारा-61 लेखा
9. धारा-62
10. धारा-63
11. धारा-64

झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक–2014

[सभा द्वारा यथापारित]

पंचायत उपबंध (अनूसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के प्रावधान के अनुरूप झारखण्ड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में प्रभावी करने के लिए झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2007 एवं 2011) के संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित, 2007 एवं 2011) संशोधित 2014 कही जा सकेगी।

(ii) इस अधिनियम के अध्याय–7 की धारा–57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एवं 64 के प्रावधान झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रभावी होगा।

2. **झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा–2, उपधारा–झ(V) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित किया जाता है:–**

झ(VI) **अनुसूचित क्षेत्र** :– अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद–244 धारा–1 के द्वारा राज्य के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र।

झ(VII) **ग्राम सभा** :– ग्राम सभा से अभिप्रेत है, झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001, अध्याय–2 के धारा–3 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए परिभाषित ग्राम सभा।

झ(VII) **ग्राम प्रधान** :– ग्राम प्रधान से अभिप्रेत है कि रितीरिवाज, परम्परा, रूढ़ी के द्वारा मान्य पद जो उस ग्राम के लोगों को स्वीकार हो अथवा सरकारी स्तर के सक्षम प्राधिकार के द्वारा नामित/मनोनीत अथवा नियुक्त व्यक्ति।

झ(IX) **ग्राम सभा का सीमा** :– ग्राम सभा के सीमा से अभिप्रेत है कि वह क्षेत्र जिसमें वह ग्राम, जिसमें टोले भी सम्मिलित हों एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा चिन्हित हो।

झ(X) **ग्राम सभा के सदस्य** :– ग्राम सभा के सदस्य से अभिप्रेत है कि उस ग्राम, क्षेत्र में अधिवास करने वाले सभी सदस्य। जिनका नाम वहां के निर्वाचन सूची में हो।

झ(XI) **ग्रामीण हाट/बाजार** :– ग्रामीण हाट/बाजार से अभिप्रेत है कि स्थानीय ग्राम स्तर पर कृषि संबंधी उपज का क्रय एवं विक्रय स्थल।

3. झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2007 एवं 2011) को पंचायत–उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) के धारा–4 (एम0) को प्रवृत करने के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को ग्रामीण हाट/बाजार का प्रबंधन/नियंत्रण करने की शक्ति प्रत्यायोजित करने हेतु धारा–56 के बाद अध्याय–7 में धारा–57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एवं 64 निम्न रूप से अंतः स्थापित किया जाय :–

अध्याय–7

अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को ग्रामीण हाट/बाजार का प्रबंधन/नियंत्रण की शक्ति

4. **धारा–57–** (I) **ग्राम सभा** क्षेत्र के अन्तर्गत लगने वाले हाट/बाजार की पर्यवेक्षण/अनुश्रवण हेतु ग्राम सभा क्षेत्र के हीं सदस्यों को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो आपसी सहमति से उक्त हाट/बाजार रका व्यवस्था की रूप रेखा तय करेंगे।

(II) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बाजार पर पेयजल/शेड (छपरा)/शौचालय तथा क्रेता एवं विक्रेताओं के लिए विनिमय करने हेतु स्थान आदि का व्यवस्था करेगी। ऐसा करने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(III) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बजार में क्रय एवं विक्रय किए जाने वाले सामग्रियों पर कृषि बाजार उपज अधिनियम के अनुसार और कृषि विपणन पर्षद द्वारा निर्धारित दर एवं माप दण्ड पर शुल्क की वसूली कर सकेगा

(IV) **ग्राम सभा** उक्त ग्रामीण हाट/बाजार में कृषि उपज से संबंधित वस्तुओं का आवश्यकता पड़ने/राशि उपलब्ध होने एवं भूमि उपलब्ध होने पर उसका भण्डारण, कोल्ड स्टोरेज एवं परिवहन की व्यवस्था भी यथा निर्धारित एवं निर्देशित प्रावधान के तहत करेगी।

(V) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बाजार के अंतर्गत क्रय एवं विक्रय के दौरान माप एवं तौल में माप तौल अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकेगा।

(VI) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बाजार के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का मिलावटी या जो सामग्री लोकहीत के लिए हानिकारक हो उसकी क्रय एवं विक्रय को रोक सकेगा।

(VII) **ग्राम सभा** अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले हाट/बाजार के अंतर्गत कृषि उपज की गुणवता एवं मानकता निर्धारित कर सकेगा और इसके लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो इस कार्य के लिए तकनीकी पदाधिकारियों का मांग विपणन पर्षद से कर सकेगा।

(VIII) **ग्राम सभा** हाट/बाजार के अंतर्गत जैसे जुआ या वैसा कोई खेल जो समाज विरोधी हो, प्रलोभन, नशा, नशीले पदार्थ की बिक्री, किसी भी प्रकार के अश्लील कृत्य, झगड़ा आदि पर पाबंदी लगा सकेगा।

(IX) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बाजार में क्रय एवं विक्रय करने वाले व्यापारियों, कमीशन एजेंन्टों, दलालों, तौलकों, माल गोदाम मालिकों, कृषि उपज के विद्यायन (प्रोसेसिंग) और पीइन (प्रेसिंग) कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों एवं फर्मों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अथवा अनुज्ञप्ति के नवीकरण करने हेतु नजदीकी बाजार समिति को अनुशंसा कर सकेगा।

संबंधित बाजार समिति ग्राम सभा के अनुशंसा प्राप्त कर सुसंगत नियम/प्रावधानों के तहत विचार कर अनुज्ञप्ति निर्गत एवं नवीकृत करेगा।

(X) **स्थानीय एवं प्रचलित** रीति/रूढ़ी, जिसके अनुसार हाट/बाजार में कृषि उपज नीलाम किए जाऐंगे तथा डाक बोले एवं स्वीकार किया जा सकेगा।

(XI) **ग्राम सभा** अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत हाट/बाजार में उत्पाद के अनुरूप क्रय एवं विक्रय के लिए अलग–अलग स्थल कर्णांकित/चिन्हित करा सकेगा, जिससे आम क्रेता एवं विक्रेताओं को सहुलियत हो सके।

(XII) **ग्राम सभा** अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत हाट/बाजारों के कृषि उत्पादों का क्रय एवं विक्रय के लिए न्यूनतम मूल्य जिसपर क्रेता एवं विक्रेताओं में सहमति हो निर्धारित कर सकेगा।

(XIII) **ग्राम सभा** अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत हाट/बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपज एवं अन्य उत्पाद का क्रय एवं विक्रय पर नजर रख सकेगा। ग्राम सभा का यह भी दायित्व होगा कि ग्रामीण हाट/बाजार में ग्रामीणों की क्रय या विक्रय मूल्य में किसी प्रकार का शोषण ना हो।

(XIV) **ग्राम सभा** का यह दायित्व होगा कि किसी भी तरह की अवैध जमाखोरी, सूदखोरी, कम दाम पर दबाव देकर सामग्रीयों का क्रय अथवा विक्रय करने वाले पर रोक लगा सकेगी तथा आवश्यकता पडने पर विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए स्थानीय थाना से सहयोग प्राप्त कर सकेगी।

5. **धारा–58 मार्केट यार्ड की घोषणा :–**

(I) झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (यथासंशोधित 2007 एवं 2011) के धारा–5 (3) (क) (III) एवं (IV) के प्रावधान के तहत ग्राम सभा सरकार को अनुशंसा कर सकेगा।

6. **धारा–59 हाट/बाजार कमिटि का गठन** :– अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा क्षेत्र के अधीन हाट/बाजार के संचालन/व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन कर सकेगी जिसके सदस्य ग्राम सभा के द्वारा अनुशंसित होगा तथा संबंधित क्षेत्र के अनुमंडलाधिकारी के द्वारा लिखित आदेश से होगा।

<u>परन्तु,</u> किसी ग्राम सभा के अंतर्गत हाट/बाजार के संचालन/व्यवस्था करने के लिए ग्राम सभा द्वारा उसी क्षेत्र में अधिवास करने वाले व्यक्तियों की कमिटि का गठन किया जाएगा।

7. **धारा–60 मार्केट समिति का स्वरूप–** किसी भी ग्राम सभा के अधीन हाट/बाजार के संचालन/व्यवस्था के लिए कमिटि गठित होगी जिसमें ग्राम प्रधान (अध्यक्ष) सहित अधिकतम 09 सदस्य होंगे, जिसमें न्यूनतम 03 सदस्य महिला होंगे। यदि ग्राम सभा चाहे तो उक्त समिति में ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कार्यरत स्वयं सहायता समूह/महिला समूह को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

<u>परन्तु,</u> किसी एक परिवार से एक से अधिक सदस्य, कमिटि के सदस्य नहीं होंगे तथा उस ग्राम सभा के अंतर्गत सभी टोलों का प्रतिनिधित्व सामान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

8. **धारा–61 लेखा :–**

(I) **ग्राम सभा** में प्रत्येक हाट/बाजार में लेखा बही का संधारण किया जाएगा जो प्रत्येक हटिया के दिन के अनुसार संधारित होगा। जिसमें हाट/बाजार से शुल्क के रूप में वसूली की गई राशि का लेखा जोखा संधारित किया जाएगा। शुल्क के रूप में प्राप्त एवं अन्य राशि को उसी दिन अथवा दूसरे दिन प्रथम पहर तक ग्राम सभा के नाम से खुले बैंक खाता में जमा कर दी जाएगी।

(II) **ग्राम सभा** प्रत्येक हाट/बाजार के आय व्यय का अंकेक्षण किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराएगा तथा आय-व्यय के अंतिम वार्षिक लेखा को नये वर्ष के ग्राम सभा की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(III) **ग्राम सभा** हाट/बाजार में शुल्क की वसूली के लिए एजेन्ट तथा कर्मी की नियुक्ति संबंधित हाट/बाजार की संचालन/व्यवस्था हेतु गठित समिति के माध्यम से नियुक्त होगा तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं मानदेय जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो तथा समिति के द्वारा स्वीकृत हो उन्हें भुगतान किया जा सकेगा।

(IV) **ग्राम कोष एवं निधि का संचालन** :- ग्राम कोष का संचालन "झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन) नियमावली, 2003" के नियम-14 के प्रावधान के तहत किया जाएगा।

9. **धारा-62 ग्राम सभा** मार्केट यार्ड, कृषि उपज के प्रोसेसिंग, भण्डारण, कोल्ड स्टोरेज आदि का निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण एवं भवन/योजनाओं के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु सरकार से अनुरोध कर सकेगा। जिसपर राज्य सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगा।

परन्तु, योजना तैयार करने में ग्राम सभा के दो तिहाई सदस्यों की सहमति प्राप्त कर हीं योजना तैयार एवं उसको कार्य रूप दिया जा सकेगा।

10. **धारा-63** (I) किसी और स्थिति के होते हुए भी जो इस अधिनियम से असंगत न हो राज्य सरकार उस क्षेत्र में कृषि उपज को खरीद, बिक्री, भण्डारण, प्रोसेसिंग करने के लिए समय-समय पर अधिसूचना/दिशा-निर्देश निर्गत कर सकेगी।

(II) **उप धारा-1** के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई आपति अथवा सूझाव जो राज्य सरकार को प्राप्त होती हो तथा उसका समाधान आवश्यक हो तो राज्य सरकार दो माह के अंदर उस पर उपयुक्त आदेश/अधिसूचना निर्गत कर सकती है।

11. **धारा-64** यदि ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ने वाले हाट/बाजार को चलाने में असमर्थ हो अथवा ग्राम सभा में इस आशय का निर्णय हो कि किसी ग्राम सभा के द्वारा हाट/बाजार नही चलाया जा सकता तो इसकी लिखित सूचना संबंधित बाजार समिति/कृषि विपणन पर्षद/अनुमंडलाधिकारी को कारण सहित देगा तब उक्त हाट/बाजार का व्यवस्था कृषि उपज बाजार अधिनियम के प्रावधान के तहत संबंधित बाजार समिति उसको अधिग्रहित कर उसका संचालन करेगा परन्तु ऐसे निर्णय में ग्राम सभा के दो तिहाई सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ही ऐसा किया जा सकेगा।

किसी प्रकार का विवाद होने पर इसका निपटारा ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा और यदि वैसा विवाद जिसका निपटारा ग्राम सभा में नहीं हो सकता है तो वैसे मामलों को संबंधित अनुमंडलाधिकारी के समक्ष लाया जाएगा जिसका निपटारा उनके द्वारा अधिकतम दो माह के अन्दर सभी पक्षों का सुनकर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर किया जाएगा।

***

यह विधेयक झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 06 अगस्त, 2014 को झारखण्ड विधान सभा में उदभूत हुआ और दिनांक 06 अगस्त, 2014 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(शशांक शेखर भोक्ता)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 46–50–19–8–2014 ।